माननीय मुकुल मुद्गल, सीजे, एमएम कुमार और जसबीर सिंह, जे जे,

डीएलएफ गोल्फ रिसॉर्ट्स *लिमिटेड से पहले, - याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -*प्रतिवादी*

CWPNo . 2009 का 9476

3 जनवरी 2011

भारत का संविधान, 1950--कला. 226-पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955-एसएस.2(डी) और 2(ई)(हाय)-पंजाब मनोरंजन शुल्क नियम, 1956-स्पोर्ट्स क्लबों पर मनोरंजन शुल्क लगाना-क्या 'खेल* को एक विषय के रूप में कर लगाने से बाहर रखा गया है प्रविष्टि 62 और संविधान की 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 33 को गैर-कर में शामिल करना जानबूझकर किया गया है ताकि राज्य विधानमंडल को 'खेल* पर कर लगाने की उनकी क्षमता से वंचित किया जा सके और संघ सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत उस क्षमता को संसद पर छोड़ दिया जाए - आयोजित किया गया, हाँ- राज्य विधानमंडल मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर मनोरंजन शुल्क/कर लगाने में सक्षम है, जिसमें खेल भी शामिल हैं।

निर्णय, कि सूची I और सूची III में' खेल' या 'स्पोर्ट्स क्लब' पर करों से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं है जिसके लिए 'मज्जा और पदार्थ' के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता हो। सूची I की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत ' खेल' या 'स्पोर्ट्स क्लब' पर कराधान के क्षेत्र को साफ़ करना संभव नहीं होगा, खासकर जब ऐसा क्षेत्र सूची II की प्रविष्टि 62 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' द्वारा कवर किया गया हो।

(पैरा 29)

निर्णय, मनोरंजन शुल्क लगाना न केवल खेल पर बल्कि 'स्पोर्ट्स क्लब' पर भी है, जो कई अन्य गतिविधियों में उलझा हुआ है जिसमें पार्टी करना, शराब पीना और भोजन करना शामिल है। राज्य विधानमंडल मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर मनोरंजन शुल्क/कर लगाने में सक्षम है, जिसमें खेल भी शामिल हैं।

(पैरा 30 एवं 31)

आगे कहा गया, कि (ए) वीडियो गेम मनोरंजन कर के अधीन हैं। भले ही कोई व्यक्ति वीडियो पार्लर में अपने प्रदर्शन से मनोरंजन करता हो, लेकिन कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि वीडियो पार्लर का मालिक थिएटर, मनोरंजन, खेल या किसी खेल में प्रदर्शन जैसे किसी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करे। दूसरे शब्दों में, यह अब कोई *पाप नहीं रह गया है कि* करदाता के कहने पर आयोजित किसी तीसरे पक्ष द्वारा मनोरंजन कर को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन अनिवार्य है; (बी) भुगतान का तरीका पूरी तरह से अप्रासंगिक है चाहे वह प्रवेश के समय किया गया हो या गेम खेलने के समय। इसलिए, शुरुआत में भुगतान की गई एकमुश्त राशि या साल दर साल दी जाने वाली वार्षिक सदस्यता से शायद ही कोई फर्क पड़ेगा; और (सी) एक प्रदर्शन तब सार्वजनिक हो जाता है जब लोग किसी ऐसे स्थान पर अपने कौशल का प्रदर्शन करके खेल खेलने आते हैं जहां जनता के सदस्यों

को भुगतान करने और सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(पैरा 39)

सोली जे. सोराबजी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्वनी चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशिम अग्रवाल, अधिवक्ता, अजय अग्रवाल, अधिवक्ता, आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता, सुश्री। रूपा पथियाना , अधिवक्ता।

अनिल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, एलएल भूषण, अधिवक्ता, अनुपम बंसल, अधिवक्ता, सुश्री के साथ। स्वाति एस. मलिक, अधिवक्ता।

अरविंद निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण मोंगा, अधिवक्ता के साथ।

त्रिभुवन दहिया, अधिवक्ता।

हेमंत सैनी, अधिवक्ता।

एमएस। मुनीषा गांधी, अधिवक्ता।

अवनीश झिंगन , वकील।

याचिकाकर्ता के वकील डीएस नरूला ।

एचएस हुड्डा, महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ रणधीर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा; और विनोद एस. भारद्वाज, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा^/या *प्रतिवादी।*

एम.एम कुमार, जे.

(1) इस न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें से हम में से एक सदस्य (एमएम कुमार, जे.) था, ने मनोरंजन शुल्क की वैधता से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण और सामान्य प्रश्नों को उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह में इस पूर्ण पीठ का संदर्भ दिया है । पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (हरियाणा पर लागू) के तहत खेल क्लबों पर शुल्क [संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम'] और पंजाब मनोरंजन शुल्क नियम, 1956 (जैसा कि हरियाणा पर लागू) [संक्षिप्तता के लिए, 'नियम'] , 3 अगस्त, 2009 के संदर्भ आदेश को विज्ञापित करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

"तीन याचिकाओं के इस समूह में चुनौती मनोरंजन शुल्क लगाने और वर्तमान याचिकाकर्ताओं की तरह स्पोर्ट्स क्लबों पर इसके आवेदन को लेकर है, जो गोल्फ के खेल को संरक्षण देते हैं । विद्वान वरिष्ठ वकील ने, *अन्य बातों के अलावा,* प्रस्तुत किया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 62 विशेष रूप से अभिव्यक्ति 'खेल' के उपयोग को छोड़ देती है, जो राज्य विधायिका को मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुए पर कर लगाने के लिए अधिकृत करती है । उन्होंने हमारा ध्यान प्रविष्टि 33 की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा 'खेल', 'मनोरंजन' और 'मनोरंजन' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि संविधान निर्माताओं का इरादा कर लगाने से संबंधित कानून की शक्ति को प्रतिबंधित करना है, जिसे संसद द्वारा कानून बनाने के लिए पहली सूची की प्रविष्टि 97 द्वारा बचाया गया है। प्रविष्टि 62 से अभिव्यक्ति

"खेल" को हटाकर आवश्यक इरादा, पहली सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत खेलों पर कर लगाने के विषय को संसद पर छोड़ना है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि याचिकाकर्ताओं जैसे क्लबों पर कर लगाया जाता है तो शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज जहां खेल खेला जाता है, उन पर भी कर लगेगा। एक और तर्क उठाया गया है कि **मैसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में **, (1)** (2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19345, 29.8.2008 को निर्णय लिया गया) प्रश्न 'मनोरंजन शुल्क' की संवैधानिक वैधता पर न तो सवाल उठाया गया और न ही फैसला सुनाया गया और इसलिए, डिवीजन बेंच के विचार को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है। इसे जमा भी कर दिया गया है मैसर्स गीता **एंटरप्राइजेज** *बनाम* **यूपी राज्य, (2) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले** पर इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **मैसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड,** *(सुप्रा) में भरोसा किया है)* चार परीक्षण निर्धारित करता है और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने केवल पहला परीक्षण लागू किया है जबकि फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि मनोरंजन शुल्क लगाने से पहले सभी चार परीक्षणों को पूरा करना होगा। दलील यह है कि डिवीजन बेंच के फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत होगी।

दूसरी ओर, सुश्री रितु बाहरी , विद्वान राज्य वकील ने **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। *बनाम* **मैसूर राज्य,** (3) और तर्क दिया कि 'सिनेमा' को प्रविष्टि 62 में शामिल किया गया था और इसलिए, 'खेल' को भी शामिल किया जा सकता है।

बहस के दौरान, हममें से एक (जसवंत सिंह, जे.) द्वारा दिए गए एक विशिष्ट संदर्भ पर कि वह तीन गोल्फ क्लबों के सदस्य हैं और कभी-कभी गोल्फ खेलते हैं, विद्वान राज्य वकील ने मामलों की सुनवाई पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इस पीठ और न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने ऐसी कोई आपत्ति उठाई है। सुना।स्वीकार किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मनोरंजन शुल्क लगाने से व्यापक सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना है और मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड (*सुप्रा) के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले* पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता होगी, हम हैं सुविचारित दृष्टिकोण यह है कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (हरियाणा पर लागू) के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि बड़ी पीठ के गठन के लिए कागजात माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

इस बीच, 30 मई, 2009 के आदेश द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी और उपरोक्त आदेश को पूर्ण बनाया गया है।"

(2) पीठ द्वारा निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठेंगे : -

A. क्या प्रविष्टि 62 पर कर लगाने से एक विषय के रूप में 'खेल' को बाहर करना, और संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की गैर-कर प्रविष्टि 33 में इसे शामिल करना जानबूझकर किया गया है ताकि राज्य विधानमंडल को कर लगाने की उनकी क्षमता से वंचित किया जा सके।' खेल' और संघ सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत उस क्षमता को संसद पर छोड़ दें?

B. **मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** मामले में इस अदालत की डिवीजन बेंच का फैसला । **लिमिटेड** *बनाम* **हरियाणा राज्य** *(सुप्रा),* **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *बनाम* **यूपी राज्य,** *(सुप्रा) मामले* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करके सही ढंग से निर्णय लिया गया है । सवाल यह है कि *'क्या होमर सिर हिलाता है'?*

तथ्य :

(3) विवाद को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, जिससे पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित कानूनी मुद्दे सामने आ सकें, उन तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान देना आवश्यक होगा, जो उदाहरणात्मक सुविधा के लिए **2009 के सीडब्ल्यूपी, संख्या 9476 से लिए गए हैं। (डीएलएफ गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य)।** इसमें याचिकाकर्ता, जो एक पंजीकृत कंपनी है, गुड़गांव में एक क्लब का प्रबंधन और संचालन कर रही है। क्लब का स्वामित्व डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड के पास है, जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक स्वतंत्र पहचान है। यह दावा किया गया है कि अन्य गतिविधियों के अलावा यह सदस्यता के भुगतान पर अपने सदस्यों को गोल्फ का खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान करता है। शुल्क और अन्य शुल्कों के मामले में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्लब आम जनता के लिए खुला नहीं है और इसकी गतिविधियाँ निजी प्रकृति की हैं। दर्शकों के मनोरंजन के लिए कोई प्रदर्शनी मैच नहीं हैं और न ही शुल्क के भुगतान पर आम जनता को प्रवेश की अनुमति है। एक बार जब क्लब कोई मनोरंजन प्रदान नहीं कर रहा है, तो यह अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत 'मनोरंजन शुल्क' लगाने के अधीन नहीं है। अपने दावे के समर्थन में मेमो में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर भरोसा किया गया है। नंबर 718/टीएल, चंडीगढ़, दिनांक 16 मई। 1991 में मीडोज गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गुड़गांव के मामले में स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 2 (डी) और 2 (ई) (iii) के तहत केवल वह मनोरंजन जो या तो दूसरों के लिए किया जाता है और दूसरों को दिखाया जाता है, उस पर कर लगाया जाएगा। उन क्लबों द्वारा मनोरंजन शुल्क और कोई शुल्क देय नहीं है जहां क्लब के सदस्य मनोरंजन के लिए गोल्फ खेलते हैं (पी-2)। उस संचार के आधार पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अधिनियम और/या नियमों के तहत कोई शुल्क एकत्र नहीं किया या कोई शुल्क नहीं दिया। यहां तक कि उत्तरदाताओं ने पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से कभी भी याचिकाकर्ता से मनोरंजन शुल्क की मांग नहीं की। हालाँकि, 31 मार्च, 2009 को मेमो , दिनांक 16 मई, 1991 को पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस ले लिया गया है (पी-3)। 27 जनवरी, 2009 को, राज्य के अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के संबंध में नियमों के नियम 17 के तहत निर्धारित

फॉर्म PED-4 में नोटिस जारी किए। उन्हें मनोरंजन शुल्क की राशि का सही भुगतान नहीं करने के आरोप का जवाब देने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है. उन्हें मुफ़्त, गुप्त, अनधिकृत और रियायती प्रविष्टियों (पी-4) के मामलों की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया है । अंततः, उनके उत्तर को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें मूल्यांकन वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के संबंध में मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और राशि का मूल्यांकन किया गया। इन आदेशों में यह भी प्रावधान है कि दंडात्मक कार्रवाई अलग से शुरू की जाएगी (पी-5)। नतीजतन, फॉर्म पीईडी-7 के तहत 26 मई, 2009 को नए डिमांड नोटिस नियमों के नियम 18 के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें मूल्यांकन (पी-6) के अनुसार शुल्क की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने जवाब भेजकर कहा है कि नियमों के नियम 18 के आधार पर, मांग के नोटिस में इसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की स्पष्ट अवधि दी जानी चाहिए। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि नोटिस अवैध थे, उन्होंने आगे कहा कि मामला विचाराधीन है और इसलिए, इसे विभिन्न याचिकाओं के निपटारे की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

(4) (अपने लिखित बयानों में उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता मासिक, वार्षिक या एकमुश्त आधार पर सदस्यता शुल्क के भुगतान पर आम जनता को सदस्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो कार्ट शुल्क, कैडी शुल्क, ग्रीन जैसे अन्य शुल्कों के अतिरिक्त है। शुल्क और सदस्यता राशि. ऐसे सदस्य क्लब परिसर में आते हैं, गोल्फ़ खेलते हैं और मनोरंजन करते हैं । और पूरी गतिविधि अधिनियम की धारा 2 (डी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' की विशेष परिभाषा के अंतर्गत आती है। उत्तरदाताओं के अनुसार इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड *(सुप्रा)* या **वेट-एन-वाइल्ड रिज़ॉर्ट** *बनाम* **हरियाणा राज्य (2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 443, 29.8 को निर्णय लिया) के मामले में .2008),** ने माना है कि बॉलिंग एली, वीडियो गेम, बिलियर्ड्स, पूल टेबल और स्विमिंग पूल की गतिविधियां हालांकि उन सदस्यों तक ही सीमित हैं जिन्होंने सदस्यता का भुगतान एकमुश्त या मासिक या वार्षिक आधार पर किया है, लेकिन यह उन्हें मनोरंजन प्रदान करता है और इसलिए , मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज *(सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण संख्या 4 को संतुष्ट करें/* इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से शुल्क की मांग कानून की नजर में पूरी तरह से उचित है।

(5) लिखित बयान में मनोरंजन कर अधिकारी, गुड़गांव द्वारा 9 अप्रैल, 2009 को पारित आदेश पर भी प्रकाश डाला गया है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग उठाना 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6957 में चुनौती का विषय था और इसे 7 मई को खारिज कर दिया गया था। 2009 मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड *(सुप्रा)* और वेट-एन-वाइल्ड रिज़ॉर्ट (सुप्रा) के मामलों में दिए गए डिवीजन बेंच के निर्णयों का पालन करके। तदनुसार, लगभग रु. की बकाया मांग है। मूल्यांकन वर्ष 2003-04,2004-05,2006-07 और 2007-08 के संबंध में 9.80 करोड़। उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि अधिनियम की धारा 11-ए के तहत अपील और धारा 12 के तहत संशोधन का एक वैधानिक उपाय है। लाभ नहीं उठाया गया है और रिट याचिका ऐसे वैकल्पिक उपचारों का लाभ उठाए बिना सक्षम नहीं होगी। उत्तरदाताओं ने यह भी रुख अपनाया है कि विधायी क्षमता की

कोई कमी नहीं है और सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 62, सूची- II के आधार पर राज्य विधायिका पूरी तरह से सक्षम है। मीडोज गोल्फ एंड कंट्री क्लब, गुड़गांव के मामले में दिनांक 16 मई, 1991 का संचार वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ था और 31 मार्च, 2009 (पी-2 कोली) को उनके द्वारा उचित रूप से वापस ले लिया गया है, खासकर जब वह संचार था मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में जांच की गई। लिमिटेड *(सुप्रा)* / उत्तरदाताओं ने सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 62, सूची- II का सहारा लिया है जिसके तहत अधिनियम पंजाब राज्य द्वारा लागू किया गया है और बाद में हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है

(6) **आर.के. गर्ग** *बनाम भारत संघ के* मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर **एपी सरकार** *बनाम* **पी. लक्ष्मी देवी, (5),** यह दलील दी गई है कि राजकोषीय या कर संबंधी क़ानून या आर्थिक उपायों के संबंध में न्यायालय द्वारा विधायिका को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। उत्तरदाताओं का आगे दलील यह है कि **वाईवी सिरिनिवसामूर्ति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ** *बनाम* **मैसूर राज्य, (6),** मैसूर सिनेमैटोग्राफ शो अधिनियम, 1951 की वैधता की चुनौती से निपटते समय, प्रविष्टि 62 सूची II के दायरे पर विचार किया गया, जो मनोरंजन, मनोरंजन पर कर सहित 'विलासिता पर कर' से संबंधित है। सट्टेबाजी और जुआ भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 50 के अनुरूप है। संविधान पीठ ने माना है कि "मनोरंजन' और 'मनोरंजन' शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें थिएटर, नाटकीय प्रदर्शन, सिनेमा, शामिल हैं। खेल वगैरह और यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले का पूरा जवाब है। इसलिए, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की शक्ति का कोई आधार नहीं है क्योंकि राज्य विधायिका 'खेल' पर भी कर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और रिट याचिका खारिज होने योग्य है। मांग बढ़ाने के संबंध में अन्य तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया गया है।

(7) यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा मामले में मनोरंजन शुल्क किसी विशेष खेल या खेल पर भी नहीं है, बल्कि यह ' स्पोर्ट्स क्लब' पर है । खेल क्लबों की गतिविधियों को सामान्यतः खेल-कूद तक सीमित रखने के बजाय अधिक सहायक गतिविधियों के रूप में विस्तारित किया जाता है। बहस के दौरान हमें डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब के नियम और कानून दिखाए गए (मार्क 'ए')। इन नियमों और विनियमों पर एक यादृच्छिक नज़र डालने से पता चलता है कि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि क्लब की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय गोल्फ प्रेमी या गोल्फ खिलाड़ी होना चाहिए। कॉर्पोरेट सदस्यों, व्यक्तिगत सदस्यों, निवासी और अनिवासी भारतीयों और यहां तक कि विदेशी नागरिकों को भी सदस्यता की पेशकश की गई है। गोल्फ का खेल खेलने के अलावा, इन क्लबों में नियमित बार और नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने की व्यवस्था है। ये क्लब जन्मदिन मनाने की अनुमति देते हैं। सालगिरह, नए साल की पार्टियाँ आदि। इसके सदस्यों के लिए. ये गतिविधियाँ केवल सदस्यों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि सदस्यों के परिवार/दोस्तों को भी विचारार्थ शामिल होने की अनुमति है। इसलिए, वास्तव में यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि इन क्लबों की संपूर्ण गतिविधियाँ पूरी तरह से ' खेल' तक ही सीमित हैं

(8) यह जानना और भी महत्वपूर्ण है कि पूर्ण पीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर विभिन्न तारीखों पर बहस जारी रही है। हालाँकि, तर्कों के बीच हरियाणा राज्य ने अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के तहत छूट की शक्ति का प्रयोग करते हुए 17 सितंबर, 2010 को एक अधिसूचना जारी की है और परिणामस्वरूप उन्हें प्रवेश शुल्क पर मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट दी है। यह छूट उन पंजीकृत क्लबों में खेल खेलने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित है जिनके 'मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन' में खेल गतिविधियाँ एक आइटम के रूप में हैं। इसलिए, हमने विद्वान वकील को बताया कि जो प्रश्न बचा है वह केवल 17 सितंबर, 2010 तक मनोरंजन शुल्क के बकाया के भुगतान से संबंधित है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता और परिणामस्वरूप डिवीजन बेंच की शुद्धता का प्रश्न है। फैसला अभी भी बचा रहेगा

(9) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सोली सोराबजी ने दलीलों का नेतृत्व किया और हमारे सामने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं जिन पर हम ध्यान दे रहे हैं, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह है कि राज्य विधायिका में कर लगाने के लिए विधायी क्षमता का पूरी तरह से अभाव है। 'खेल' क्योंकि सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 में 'खेल ' का विषय स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार संस्थापकों की मंशा राज्य सूची की प्रविष्टि 3 3 की बारीकी से जांच से स्पष्ट है जो राज्य विधानमंडल को 'थिएटर', 'नाटकीय प्रदर्शन' और 'सिनेमाघरों' को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता प्रदान करती है। सूची-I की प्रविष्टि 60 के प्रावधानों के अधीन; विपरीत-भेद में खेल मनोरंजन और आमोद-प्रमोद राज्य विधानमंडल को 'खेल' पर कर लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं क्योंकि खेल के विषय को जानबूझकर प्रविष्टि 62 से बाहर रखा गया है। श्री सोराबजी ने अन्य कर प्रविष्टियों 52 से 66 का उल्लेख किया है, जो राज्य को सक्षमता प्रदान करती हैं। विधायिका विभिन्न विषयों पर कर लगाने के संबंध में कानून बनाएगी। विद्वान वकील के अनुसार किसी विशेष विषय पर कर लगाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए राज्य विधायिका को स्पष्ट शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और इसे निहितार्थ से नहीं माना जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य विधायिका द्वारा विलासिता, मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुए पर कर लगाया जा सकता है लेकिन 'खेल ' पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि सूची II की प्रविष्टि 62 से 'खेल' की अभिव्यक्ति का जानबूझकर और स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। . इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि कर लगाने के प्रयोजनों के लिए 'खेल' का विषय सातवीं अनुसूची की सूची-I की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत कानून बनाने के लिए संसद के लिए आरक्षित किया गया है।

(10) **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के पैरा 3 का उल्लेख किया है। *(सुप्रा)* और तर्क दिया कि इन पंक्तियों से अकेले यह व्याख्या नहीं होगी कि अभिव्यक्ति 'खेल' मनोरंजन में शामिल है या ये पंक्तियाँ राज्य विधायिका को विधायी क्षमता प्रदान कर सकती हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निर्णयों को क़ानून की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे अवांछनीय और अनुचित परिणाम होंगे। श्री सोराबजी ने **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति** के मामले में भी यह तर्क दिया है *(सुप्रा)* उस याचिकाकर्ता के वकील कानूनी प्रस्ताव पर सहमत हुए थे और यह कोई विवादित मामला नहीं था बल्कि एक कानूनी मुद्दे पर

रियायत पर आधारित था।

(11) विद्वान वकील द्वारा दी गई एक अन्य दलील यह है कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सही निर्माण पर, कोई कर नहीं लगाया जाएगा जिसे याचिकाकर्ता से वसूल किया जा सकता है। उस संबंध में, 'मनोरंजन में प्रवेश' अभिव्यक्ति की परिभाषाओं का संदर्भ दिया गया है [एस। 2(ए)], 'मनोरंजन' [एस. 2(बी)], 'प्रवेश के लिए भुगतान' [एस. 2(ई)] और 'टिकट' [एस. 2(i)], धारा 3 के साथ पढ़ें और यह प्रस्तुत किया गया है कि जब कोई सदस्य गोल्फ क्लब के पोर्टल में प्रवेश करता है तो वह मनोरंजन के लिए कोई भुगतान नहीं करता है। ऐसा सदस्य केवल गोल्फ का अपना खेल खेलने के लिए क्लब में जाता है। यह माना जाता है कि धारा 4 के तहत क्लब के किसी सदस्य द्वारा किया गया एकमुश्त भुगतान सही नहीं है। इसकी तुलना किसी व्यक्ति द्वारा किसी वीडियो शो को देखने के लिए किए जाने वाले भुगतान से नहीं की जा सकती। विद्वान वकील के अनुसार धारा 2(i) 'टिकट' शब्द को परिभाषित करती है। यह दर्शाता है कि मनोरंजन में प्रवेश पर सिनेमा या एक दिवसीय क्रिकेट मैच में प्रवेश की तरह एक टिकट जारी किया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता जैसे क्लब में ऐसी कोई बात नहीं होती है। यह प्रस्तुत करने के लिए धारा 3 ए का एक विशिष्ट संदर्भ भी दिया गया है कि भुगतान पर शो प्रदर्शित करने वाले वीडियो सेट का मालिक भी मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है क्योंकि इसे टिकट के बदले भुगतान पर जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। श्री सोराबजी ने प्रतिवादी राज्य द्वारा जारी 16 मई, 1991 के परिपत्र पर भी भारी भरोसा जताया है, जिसमें विचार किया गया है कि गोल्फ क्लब या ऐसे अन्य खेल क्लबों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, उन्होंने परिपत्र में यह विचार किया है कि धारा 2 (डी) और अधिनियम का 2(ई)(iii) अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' को सीमित नहीं करता है और उन प्रावधानों के तहत मनोरंजन शुल्क लगाया जाएगा यदि दूसरों के लिए मनोरंजन का कोई प्रदर्शन किया जाता है और दूसरों को दिखाया जाता है। एक बार क्लब के सदस्य अपना मनोरंजन करने के लिए गोल्फ का खेल खेलने आते हैं, कोई मनोरंजन नहीं ड्यूटी आकर्षित होगी. श्री सोराबजी ने अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया है कि भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्व के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए विधिवत टिकट के बिना किसी भी मनोरंजन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है । मनोरंजन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है. नियमों के नियम 9 का हवाला देते हुए , विद्वान वकील ने 'फॉर्म पीईडी-फैंड' में टिकट के फॉर्म पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने तर्क दिया कि मनोरंजन के लिए प्रवेश टिकट जारी करके होना चाहिए जिस पर सरकार द्वारा विधिवत मुहर लगाई गई है, जबकि वर्तमान में इस मामले में न तो टिकट जारी करना और न ही उस पर शुल्क का कोई भुगतान शामिल है।

(12) विद्वान वकील ने आग्रह करते हुए अपने निवेदन को और विस्तार दिया है कि मनोरंजन और मनोरंजन के लिए ऐसे दर्शक होने चाहिए जिनका मनोरंजन किया जाएगा और ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होगी जब सदस्य एक मैच खेल रहे हों जिसे देखने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है। भुगतान। विद्वान वकील ने बताया है कि बिना भुगतान के मैच देखने के लिए मनोरंजन नहीं हो सकता और मनोरंजन के अभाव में सूची II की धारा 62 के आधार पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता । [इसलिए, कोई मनोरंजन शुल्क देय नहीं

होगा और न ही देय होगा एहसास हो . उस संबंध में विद्वान वकील ने **मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के** मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के पैरा 13 की अंतिम कुछ पंक्तियों पर भरोसा किया है। **लिमिटेड** *(सुप्रा)*, [1] हालांकि निर्णय स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे निर्धारिती के खिलाफ है। संक्षेप में निवेदन यह है कि एक सदस्य से मनोरंजन शुल्क लगाया जाता है क्लब का व्यवहार व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि शुल्क केवल उस दर्शक पर लगाया जा सकता है जिसे क्रिकेट मैच में प्रवेश जैसे मनोरंजन में प्रवेश दिया जाता है जहां टिकट बेचे जाते हैं और दर्शक होते हैं खेल आयोजन देखने के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई, जो किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन और मनोरंजन के संबंध में भी सच होगा।

(13) श्री सोराबजी ने तब तर्क दिया कि का निर्णय **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगी क्योंकि उस मामले में वीडियो पार्लर के मालिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए ली जाने वाली फीस पर कर और शुल्क लगाया जाना था खेलों के खिलाड़ियों पर कर को बरकरार रखा गया। विद्वान वकील के अनुसार, **मेसर्स क्रिस्लिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में डिवीजन बेंच। लिमिटेड** *(सुप्रा)* *ने* **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपात को सही ढंग से लागू नहीं किया सबसे पहले, **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा)* में निर्णय पूरी तरह से एक अलग स्तर पर आगे बढ़ा, दूसरे यह मानते हुए कि निर्णय लागू है तो उसके पैरा 12 में निर्धारित चार परीक्षणों को संचयी रूप से लागू करना होगा। **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा)* के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि एक वीडियो पार्लर शो को चार्जिंग अनुभाग के प्रावधानों के दायरे में आने के लिए उक्त परीक्षण पास करना होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि डिवीजन बेंच ने यह राय देकर गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि चार परीक्षणों में से एक भी संतुष्ट है तो खेल पर कर लगाया जाएगा।

(14) श्री सोराबजी ने भी नियमों पर भरोसा जताया है डीएलएफ क्लब जो दर्शाता है कि यह सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान नहीं है जहां लोगों को मनोरंजन के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसे अधिनियम में अवधारणात्मक रूप से शामिल किया गया है। विद्वान वकील ने क्लब के नियम 6 का हवाला दिया और तर्क दिया कि रुपये की राशि। इस निजी क्लब में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए चार वर्षों के लिए 4,00,000 रुपये निर्धारित हैं। सार्वजनिक मनोरंजन में ऐसी कोई पोशाक निर्धारित नहीं की जा सकती जो याचिकाकर्ता की तरह किसी निजी क्लब में की जा सके।

(15) कुछ अन्य याचिकाओं में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद के. निगम ने तर्क दिया है कि वे याचिकाकर्ता क्लबों के सदस्य हैं और कर का बोझ स्पष्ट रूप से उन लोगों को लगता है जो गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ खेलने वाले सदस्यों की गतिविधियों को दूसरों के मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम के लंबे शीर्षक की ओर आकर्षित किया है जहां अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक मनोरंजन' का उपयोग किया गया है और तर्क दिया है कि शुल्क की घटना 'सार्वजनिक मनोरंजन' के लिए भुगतान पर है। श्री निगम ने **वासु देव सिंह** *बनाम* **भारत संघ, (7)** के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 104 पर भरोसा करते हुए अपनी बात का समर्थन

किया है , और तर्क दिया है कि किसी क़ानून की प्रस्तावना इसे समझने की कुंजी है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, के एक सदस्य । क्लब किसी भी जनता का मनोरंजन नहीं करता है और न ही ऐसी किसी जनता को कोई भुगतान करना पड़ता है और कानून की अनुमति के बिना संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। मनोरंजन शुल्क वसूलने की एकमात्र संभावना तब उत्पन्न होती है जब कोई खेल मैच खेला जाता है और आम जनता को उसे देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है क्योंकि खेल आयोजन में मनोरंजन होने की संभावना होती है और आम जनता का प्रवेश एक मूल्य वाले टिकट से होता है। शुल्क प्रभार्य है और अधिनियम के प्रावधान आकर्षित हैं। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि राज्य द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके हास्यास्पद परिणाम होंगे क्योंकि क्लब का एक सदस्य जो गोल्फ खेलता है, उसे गोल्फ का खेल खेलने के लिए, कैडी को भुगतान करने आदि के लिए भुगतान करना होगा। अधिनियम और उसके नियमों की संवैधानिक वैधता का सम्मान करते हुए, श्री निगम ने श्री सोराबजी के समान ही प्रस्तुतियाँ दी हैं। हालाँकि, श्री निगम ने **गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड** *बनाम* **यूपी राज्य, (8)** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है , और हमें बहस करने के लिए पैरा 37 में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है। कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 62 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'विलासिता' भोग, भोग या आनंद की गतिविधियों को संदर्भित करेगी। यह बताया गया है कि केवल ऐसी गतिविधियां ही प्रविष्टि 62, सूची-II के तहत कर का विषय हो सकती हैं, न कि सामान या विलासिता की वस्तुएं। अन्य संबंध में श्री निगम ने श्री सोराबजी के तर्क को अपनाया है।

(16) विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनिल दीवान ने शुरुआत में कहा था कि वह श्री सोली सोराबजी द्वारा दिए गए सभी तर्कों को अपनाएंगे। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि वह **बॉम्बे राज्य** *बनाम* **आरएमडी चमारबागवालिया , (9) के** मामले में व्यक्त बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण को अपने तर्क के रूप में अपनाना चाहेंगे। फैसले के पैरा 24 में डिवीजन बेंच ने कहा है कि कानून के संबंध में सूची-2 की प्रविष्टि 33 और करों के संबंध में सूची-2 की प्रविष्टि 62 द्वारा विचार किया गया मनोरंजन और मनोरंजन व्यक्तिपरक मनोरंजन या आमोद-प्रमोद को कवर नहीं करता है जो कि व्यक्ति क्रॉसवर्ड पहेली को सुलझाने या मानसिक या बौद्धिक आनंद लेने से प्राप्त कर सकता है। विद्वान वकील के अनुसार डिवीजन बेंच ने सही राय दी है कि मनोरंजन या मनोरंजन व्यक्ति के मनोरंजन या मनोरंजन के बाहर किसी उद्देश्य पर विचार करता है और मनोरंजन और मनोरंजन पर कर के संबंध में, कर उस दर्शक पर भी लगता है जो कुछ मनोरंजन या मनोरंजन देखता है और, इसलिए, यद्यपि एक व्यक्ति जो क्रॉसवर्ड पहेली को हल करता है वह मनोरंजन कर रहा है या अपना मनोरंजन कर रहा है, लेकिन यह वह मनोरंजन नहीं है जिसे संविधान संबंधित प्रविष्टियों में मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के विषय पर रखकर विचार करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दीवान का तर्क यह है कि मनोरंजन केवल तभी संभव हो सकता है जब इसे दर्शकों द्वारा देखा जाए और व्यक्तिपरक मनोरंजन जो क्रॉसवर्ड पहेली को हल करने वाले व्यक्ति तक सीमित है, संवैधानिक योजना के अंतर्गत नहीं आता है। श्री दीवान ने प्रस्तुत

किया है कि डिवीजन बेंच के फैसले को हालांकि **बॉम्बे राज्य** *बनाम* **आरएमडी चमरबागवालिया , (10)** के मामले में संविधान पीठ द्वारा उलट दिया गया था , लेकिन फैसले के इस हिस्से को उलटा नहीं किया गया था या इससे अलग नहीं किया गया था।

(17) **मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** में डिवीजन बेंच का फैसला । **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से गलत तरीके से लागू करने के कारण **लिमिटेड** *(सुप्रा) पर गलत निर्णय लिया गया है।* श्री दीवान ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' के अर्थ में कोई भी प्रदर्शनी प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या खेल शामिल होगा जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के लिए प्रवेश दिया जाता है। **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा)* के मामले में फैसले के पैरा 4 और 7 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' को इसके व्यापक अर्थ में समझा जाता है तो ऐसी स्थिति में भी दर्शक की उपस्थिति जो एक राशि के भुगतान पर मनोरंजन किया जाना एक *अनिवार्य शर्त है।* तर्क यह प्रतीत होता है कि मशीनें वीडियो गेम में कलाकार और खिलाड़ी की जगह ले लेती हैं जैसा कि **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा) के मामले में* वीडियो गेम के संचालन के कारण खिलाड़ी एक दर्शक का चरित्र ग्रहण कर लेता है। भुगतान करना पड़ता है और उसके भुगतान पर मशीन संचालित होती है और फिर वह मशीन चलाकर अपना मनोरंजन करता है। श्री दीवान ने फैसले के पैरा 12 का हवाला देते हुए अपने तर्क को विस्तृत किया है कि किसी भी घटना को अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' के दायरे में लाने के लिए, उसे चार परीक्षणों से गुजरना होगा, अर्थात्, (1) शो/प्रदर्शन, खेल या स्पोर्ट इसमें सार्वजनिक रंग होना चाहिए , साथ ही, यह उस हॉल में जनता के लिए खुला होना चाहिए जहां जनता के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है या शो में भाग लिया जाता है; (2) ऐसा शो किसी प्रकार का मनोरंजन प्रदान कर सकता है, चाहे वह खेल हो, खेल हो या कोई प्रस्तुति हो जिसके लिए कुछ मात्रा में कौशल की आवश्यकता होती है; (3) हॉल में प्रवेश निःशुल्क हो सकता है लेकिन यदि प्रदर्शक को धन के रूप में कुछ लाभ मिलता है तो इसे मनोरंजन माना जाएगा; और (4) शो की अवधि या उस व्यक्ति की पहचान जो मशीन चलाता है और आनंद प्राप्त करता है, अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' के वास्तविक अर्थ को आंकने में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। विद्वान वकील के अनुसार मेसर्स **गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा) में निर्णय* 'मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान' अभिव्यक्ति की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है और यह माना गया है कि केवल इसलिए कि परिसर में प्रवेश के समय भुगतान नहीं किया गया है। अप्रासंगिक। जब तक भुगतान बाद के चरण में किया जाता है वीडियो गेम मशीन में एक सिक्का डालने पर इसे मनोरंजन स्थल में प्रवेश पर भुगतान के रूप में माना जाएगा। यह ऐसी स्थिति थी जब **हैरिस विल्सन** *बनाम* **मध्य प्रदेश राज्य, (11)** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विपरीत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त परिसर में विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि **मेसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फैसला सुनाया जाए। लिमिटेड** *(सुप्रा)* गलत धारणा पर आगे बढ़ता है

(18) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री एच.एस.हुड्डा ने जोरदार तर्क दिया है कि एक बार अभिव्यक्ति 'खेल' को सूची-II की प्रविष्टि 33 में अभिव्यक्ति मनोरंजन और मनोरंजन के बीच संविधान के निर्माताओं द्वारा नियोजित किया गया है, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' 'सूची-II की प्रविष्टि 62 के अनुसार खेल शामिल नहीं होगा। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार 'मनोरंजन' शब्द इतना व्यापक है कि इसमें सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत 'खेल' को भी शामिल किया जा सकता है। श्री हुड्डा ने **वाईवी सिरिनिवासमूर्ति** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के पैरा 3 और 4 पर दृढ़ भरोसा जताया है। *(सुप्रा)* और तर्क दिया कि संविधान पीठ ने 'मनोरंजन' शब्द की व्याख्या 'खेल' को शामिल करने के लिए की है और इसलिए, राज्य विधायिका को सातवीं अनुसूची की सूची- II की प्रविष्टि 62 के तहत कर कानून बनाने की पूरी क्षमता प्रदान की गई है। संविधान। श्री हुड्डा ने **मैसर्स क्रिसलिस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के मामलों में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है । **लिमिटेड** *(सुप्रा)* ***वेट-एन- वाइल्ड रिज़ॉर्ट*** *(सुप्रा)* और तर्क दिया कि उन मामलों का सही निर्णय लिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** *(सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षणों को* जानबूझकर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि पैरा 4, 8 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव देता हो कि ऐसे परीक्षण संचयी रूप से लागू किया जाना है। श्री हुडा ने यह तर्क देने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक रूप से उल्लेख किया है कि सार्वजनिक मनोरंजन की अभिव्यक्ति को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है क्योंकि आम जनता के सदस्यों को भी भुगतान पर क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्लब की सदस्यता जनता के लिए खुली है और भुगतान के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिनियम के प्रावधान से पता चलता है कि मनोरंजन के लिए भुगतान एकमुश्त या किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

(19) पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनने, उनकी दलीलों के तथ्यों पर गौर करने और विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार व्यक्त करने के बाद हम इस फैसले के पैरा दो में तय किए गए कानून के दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

पुनः प्रश्न '(ए)'

(20) हमारे संविधान ने राजव्यवस्था का एक विशिष्ट संघीय स्वरूप अपनाया है। आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए विधायी शक्तियों के वितरण का यह अनोखा संघीय पैटर्न एकात्मक चरित्र धारण कर सकता है। जब अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 के अनुसरण में आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो संविधान के अनुच्छेद 250 के आधार पर, संसद को स्पष्ट रूप से राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 249 से 252 पर एक यादृच्छिक नज़र डालने से यह स्थापित हो जाएगा कि संसद को कानून बनाने में प्रधानता दी गई है।

(21) यह देखना अटपटा है कि कानून के विभिन्न 'क्षेत्र' 'संसद' और 'राज्यों के विधानमंडलों' के बीच विस्तृत रूप से सीमांकित, आवंटित और वितरित हैं। दोनों संस्थाएं लोगों की 'इच्छा' को प्रतिबिंबित करती हैं, लेकिन फिर भी वे कानून बनाने की अपनी क्षमता संविधान के स्रोत यानी अनुच्छेद 245 से प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने में सक्षम है और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। संविधान का अनुच्छेद 246 इसे किसी भी संदेह से परे रखता है कि संसद के पास सातवीं अनुसूची में सूची I में उल्लिखित किसी भी 'क्षेत्र' के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जिसे 'संघ सूची' के रूप में जाना जाता है, संसद के पास है सातवीं अनुसूची में सूची-111 में उल्लिखित किसी भी 'क्षेत्र' पर कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है, जिसे 'समवर्ती सूची' के रूप में जाना जाता है। राज्यों को 'समवर्ती सूची' के किसी भी 'क्षेत्र' के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी है, जो अनुच्छेद 245 के खंड (1) के तहत संसद की शक्ति के अधीन है। हालांकि, राज्य विधानमंडल के पास विशेष शक्ति है सातवीं अनुसूची में सूची II में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र के संबंध में कानून बनाना, जिसे 'राज्य सूची' के रूप में वर्णित किया गया है। हालाँकि, किसी भी शेष क्षेत्र में, संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है जो संसद को फिर से अधिक शक्तिशाली बनाती है। साथ ही भारतीयों की एक संपत्ति का जिक्र करने के बाद विदेशी मामलों में, **होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** *बनाम* **बिहार राज्य (12)** के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 71, 74, 75 और 76 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न सिद्धांत निर्धारित किए हैं इस पहलू पर. उन सिद्धांतों को **पश्चिम बंगाल राज्य** *बनाम* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीश पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से संक्षेपित किया गया है। **केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (13),** निम्नलिखित शर्तों में: -

(1)) तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की "शक्तियाँ" नहीं बल्कि कानून के "क्षेत्र" हैं। संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूर्ण रूप से अलग करता है। *कर लगाने की शक्ति में कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है और संविधान संघ और राज्यों को कराधान के स्वतंत्र स्रोत देता है।*

(2) विधान के क्षेत्रों का सीमांकन किए जाने के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच नापसंदगी का सवाल केवल उन मामलों में उठ सकता है जब दोनों विधान कानून में शामिल मामलों में से किसी एक के संबंध में एक ही क्षेत्र में हों। समवर्ती सूची और सीधा टकराव देखने को मिलता है. यदि एक ओर सूची-II और दूसरी ओर सूची I और सूची-III के बीच ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण कोई प्रतिकूलता है, तो राज्य का कानून अधिकारातीत होगा और उसे केंद्रीय कानून के लिए रास्ता देना होगा।

(3) *विधायी क्षमता के प्रयोजनों के लिए कराधान को एक अलग मामला माना जाता है।* कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। कानून के सामान्य विषयों को

प्रविष्टियों के एक समूह में और कराधान की शक्ति को एक अलग समूह में निपटाया जाता है। *कर लगाने की शक्ति को सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है।*

(4) सूचियों में प्रविष्टियाँ केवल कानून के विषय या क्षेत्र हैं, उन्हें व्यापक और उदार भावना से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए, न कि संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में, प्रविष्टियों को प्रारूपित करने में नियोजित शब्दों और अभिव्यक्तियों को यथासंभव व्यापक रूप दिया जाना चाहिए व्याख्या। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वी. रामास्वामी , जे. को उद्धृत करने के लिए, सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यापक श्रेणियों की सरल गणना के माध्यम से होता है। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित मुख्य मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति में इसके विस्तार में प्रासंगिक और सहायक मामलों से संबंधित कानून भी शामिल होंगे।

(5) जहां किसी राज्य की विधायिका की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, वहां सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कानून सूची-I या सूची-I में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है। तृतीय. यदि ऐसा होता है, तो कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तीन सूचियां बड़ी संख्या में प्रविष्टियों वाली हों, वहां उनमें कुछ ओवरलैपिंग होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करने के लिए कि कानून का दिया गया भाग किस प्रविष्टि से संबंधित है, मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना होगा। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम नहीं होता है। अदालत को मामले के सार को देखना होगा। मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत कभी-कभी कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधायिका द्वारा विधान को दिया गया नाम महत्वहीन है। संपूर्ण अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(6) अधिग्रहीत क्षेत्र का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब संघ और राज्य सूचियों के बीच दोनों के लिए समान क्षेत्र में टकराव होता है। वहां पिथ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू किया जाना है और यदि विवादित कानून काफी हद तक उस विधायिका को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आता है जिसने इसे अधिनियमित किया है, तो किसी अन्य विधायिका को सौंपे गए क्षेत्र में आकस्मिक अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तीन सूचियों को पढ़ते समय, सूची I को सूची III और II पर प्राथमिकता दी जाती है और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, *फिर भी, संघ सूची की प्रबलता स्लेट विधानमंडल को सूची I के भीतर किसी भी मामले से निपटने से नहीं रोकेगी, हालांकि यह संयोगवश सूची I में किसी भी आइटम को प्रभावित कर सकता है।" (* मूल में *इटैलिक लेकिन रेखांकित नहीं)*

(22) संविधान पीठ द्वारा संक्षेपित ये सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग के हैं। हालाँकि, कराधान और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कानून को अधिक अक्षांश और लचीलेपन के साथ समझना होगा। **आरके गर्ग** *(सुप्रा)* के मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अधिक अक्षांश के लिए जोर दिया , जैसे जोड़ों में खेल, विधायिका को अनुमति दी जा रही है क्योंकि इसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है किसी भी स्ट्रेटजैकेट फार्मूले के माध्यम से समाधान। संविधान पीठ ने **मोरे** *बनाम में फ्रैंकफर्टर, जे. के निम्नलिखित आदेश को मंजूरी दे दी***डौड , (14) : -**

> "उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं तो न्यायिक आत्म-संयम के अच्छे कारण हैं। आख़िरकार विधायिका की सकारात्मक ज़िम्मेदारी है। न्यायालयों के पास केवल विध्वंस करने की शक्ति है, पुनर्निर्माण की नहीं। जब इन्हें आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता, त्रुटि के प्रति दायित्व, विशेषज्ञों के हतप्रभ करने वाले संघर्ष और घटनाओं द्वारा न्यायाधीशों को खारिज किए जाने की संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, तो आत्म-सीमा को रास्ता माना जा सकता है। न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता।

(23) संविधान पीठ ने संघीय राज्य व्यवस्था से निपटने के लिए संयुक्त राज्य के संघीय न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी है जो कुछ हद तक हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई संघीय संरचना के समान है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कर से संबंधित कानून के संबंध में उपरोक्त दृष्टिकोण का तर्क यह है कि न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप से राजस्व का संग्रह प्रभावित होगा जो राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, किसी क़ानून को संविधान के दायरे से बाहर घोषित करने के बजाय उसकी संवैधानिकता के बारे में हमेशा एक धारणा होती है। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कर का आकलन करने के लिए नियोजित उपाय को कर की प्रकृति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। **केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा)** मामले में , संविधान पीठ ने माना है कि *"कर के दो तत्व होते हैं: पहला, व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि जिस पर कर लगाया जाता है, और दूसरा, कर की राशि। राशि को कई तरीकों से मापा जा सकता है; लेकिन कर की विषय-वस्तु और उस मानक के बीच अंतर, जिसके द्वारा कर की राशि मापी जाती है, को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें क्रमशः वर्णित किया गया है कर के विषय और कर के उपाय के रूप में।* "इन सिद्धांतों के लिए **यूनियन ऑफ इंडिया** *बनाम* **बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड, (15) के** मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया जा सकता है।

(24) उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमारे समक्ष उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टियाँ 33 और 62 को एक साथ पढ़ने की जरूरत है, जो इस प्रकार हैं :

राज्य सूची की प्रविष्टि 33 राज्य	**सूची की प्रविष्टि 62**
"थिएटर और नाटकीय प्रदर्शन; सिनेमाघर सूची I की प्रविष्टि 60 के प्रावधान आधारित; खेल, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद।"	" करों सहित विलासिता मनोरंजन पर कर, आमोद-प्रमोद पर सट्टेबाजी और जुआ।"

(25) उपरोक्त प्रविष्टियों पर, पार्टियों के विद्वान वकील ने कई दलीलें दी हैं, लेकिन उनका मूल निवेदन यह है कि प्रविष्टि 62 में से 'खेल' शब्द को हटा दिया गया है, और अभिव्यक्ति *'मनोरंजन'* और *'मनोरंजन'* को बरकरार रखा गया है, जब हम इसकी तुलना जानबूझकर करते हैं। गैर-कर प्रविष्टि 33, जिसमें इन तीनों शब्दों *'खेल, मनोरंजन और मनोरंजन'* का उपयोग किया गया है। प्रविष्टि 62 में कर लगाने में 'खेल' शब्द का छूटना, खेल पर कराधान को सक्षमता पर छोड़ने के संस्थापक पिताओं* के इरादे का संकेत है। संसद की 'संघ सूची' की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के अंतर्गत। हालाँकि, यह प्रस्तुतिकरण **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले की अनदेखी करता है । *(सुप्रा)* / संविधान पीठ ने इसी तरह के तर्क पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। उस मामले में मैसूर सिनेमैटोग्राफ शो टैक्स अधिनियम, 1951 की धारा 3 के तहत कर लगाने की मांग की गई थी। अभिव्यक्ति *'सिनेमैटोग्राफ शो'* को धारा 2 में परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ किसी भी स्थान पर आयोजित किसी भी सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शनी से है, जहां व्यक्तियों को भुगतान पर प्रवेश दिया जाता है। करों की दरें धारा 2 में बैठने की जगह की उपलब्धता और उन शहरों के अनुसार बढ़ते पैमाने पर निर्धारित की गईं जहां सिनेमैटोग्राफ शो आयोजित किया गया था। विवाद यह था कि क्या राज्य विधानमंडल के पास कर लगाने की प्रविष्टि 62 के तहत ऐसा कानून बनाने की क्षमता है, क्योंकि प्रविष्टि 33 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति *'सिनेमा' को* कर लगाने वाली प्रविष्टि 62 में छोड़ दिया गया था। संविधान पीठ के आधिपत्य ने पैरा 3 में उपरोक्त तर्क को देखा और खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है : -

> "3. यहां केवल उस अतिरिक्त तर्क का उल्लेख करना आवश्यक है जो अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में हमारे सामने पेश किया था। उन्होंने हमारा ध्यान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 33 की ओर आकर्षित किया जो इस प्रकार है: "थिएटर और नाटकीय प्रदर्शन; सूची I की प्रविष्टि 60 के प्रावधानों के अधीन सिनेमाघर; खेल, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद।" उनका तर्क है कि वह प्रविष्टि एक अलग विषय के रूप में प्रत्येक वस्तु के संबंध में बनाए गए कानूनों को शामिल करती है, लेकिन बताते हैं कि प्रविष्टि 62, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टेबाजी और जुए पर कर सहित केवल विलासिता पर कर लगाने की अनुमति देती है। विद्वान वकील ने निष्कर्ष निकाला कि प्रविष्टि 62 के संबंध में बनाया गया कानून सिनेमाघरों पर कर लगाने की अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रविष्टि 33 में उल्लिखित शब्द "सिनेमा" को प्रविष्टि 62 से हटा दिया गया है। हमें नहीं लगता कि इस तर्क में कोई दम है। विद्वान वकील इस

> बात से सहमत हैं कि "मनोरंजन" और "मनोरंजन" शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें थिएटर, नाटकीय प्रदर्शन, सिनेमा, खेल और इसी तरह की चीज़ें शामिल हैं। यदि उनका तर्क सही है, तो, तर्क की समानता पर, राज्य विधानमंडल के पास नाटकीय प्रदर्शन या खेल के थिएटरों पर कर लगाने वाला कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं होगी, क्योंकि प्रविष्टि 62 में इनमें से किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यह पर्याप्त है इस तर्क को खारिज करने के लिए. मामले की सच्चाई यह है कि "सिनेमा" का उल्लेख सूची II की प्रविष्टि 33 में विशेष रूप से किया जाना था ताकि सूची I में प्रविष्टि 60 के बीच किसी भी संभावित टकराव से बचा जा सके। (महत्व जोड़ें)।

(26) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की उपरोक्त स्थिति के अवलोकन से पता चलता है कि संविधान पीठ ने विधान के 'क्षेत्रों' की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात् मनोरंजन और मनोरंजन को थिएटर, नाटकीय प्रदर्शन, सिनेमा, खेल और मनोरंजन को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक बनाया। पसन्द। **होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** *(सुप्रा)* और **केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामलों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि सूचियों में प्रविष्टियाँ केवल कानून के ' विषय' या क्षेत्र' हैं और इसलिए, उन्हें एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए व्यापक एवं उदार भावना से प्रेरित, संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं। प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यापक श्रेणियों की गणना के माध्यम से होता है।

(27) प्रविष्टि 62 में अभिव्यक्ति 'विलासिता' से पहले नियोजित ' सहित' शब्द का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह होगा कि 'सहित' शब्द के बाद के भाव अधिक व्यापक और उदाहरणात्मक हैं; और संपूर्ण नहीं. इसलिए, इसमें ' खेल' शामिल होगा । यह अच्छी तरह से स्थापित है कि 'शामिल' शब्द का प्रयोग आम तौर पर क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाने के लिए व्याख्या खंडों में किया जाता है; और जब इसका उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो उन शब्दों या वाक्यांशों को न केवल उन चीज़ों को समझने के लिए समझा जाना चाहिए, जैसा कि वे अपने प्राकृतिक आयात के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीज़ों को भी समझते हैं जो व्याख्या खंड घोषित करते हैं कि उन्हें शामिल करना चाहिए। **महाराष्ट्र राज्य** *बनाम* में **लेबर लॉ प्रैक्टिशनर्स* एसोसिएशन, (16),** संविधान के अनुच्छेद 236 (ए) में 'जिला न्यायाधीश' की समावेशी परिभाषा को विशेष सिविल कोर्ट अर्थात के पदानुक्रम को शामिल करने के लिए बहुत व्यापक रूप से समझा गया है। श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय, जो स्पष्ट रूप से परिभाषा में शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार, **दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली** *बनाम* **गुजरात राज्य, (17) के** मामले में संविधान के अनुच्छेद 129 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए , माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति *'सहित'* की व्याख्या न्यायालयों द्वारा शक्ति के दायरे को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए की गई है और पैरा 29 में हमें इसके तहत पालन करने के लिए आगे बढ़ाया गया है: -

"29. अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और यह आगे प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी *जिनमें दंड देने की शक्ति भी शामिल है स्वयं की अवमानना.* अनुच्छेद 129 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति प्रतिबंधात्मक नहीं है बल्कि इसकी प्रकृति व्यापक है। यदि संविधान निर्माताओं का इरादा था कि सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी, तो *"स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित" अभिव्यक्ति सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।* अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए और इसके अतिरिक्त, यह अवमानना से संबंधित कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करता है जैसा कि "सहित" अभिव्यक्ति से प्रतीत होता है। शक्ति के दायरे को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए, "सहित" अभिव्यक्ति की व्याख्या अदालतों द्वारा की गई है। अनुच्छेद 129 की स्पष्ट भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि रिकॉर्ड की अदालत के रूप में इस न्यायालय के पास खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है और कुछ और भी है जो रिकॉर्ड की अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। संविधान की व्याख्या करते समय, ऐसी संरचना को अपनाने की अनुमति नहीं है जो किसी भी अभिव्यक्ति को अनावश्यक या निरर्थक बना दे। अदालतों को ऐसे किसी भी निर्माण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 129 की व्याख्या करते समय, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त समावेशी शक्ति के महत्व और प्रभाव को नजरअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान

द्वारा अभिलेख न्यायालय के रूप में डिज़ाइन किया गया है और जैसा कि संस्थापकों को पता था कि अभिलेख की एक वरिष्ठ अदालत के पास किसी व्यक्ति को स्वयं के साथ-साथ अपने से निचली अदालतों की अवमानना के लिए दोषी ठहराने की अंतर्निहित शक्ति है, अभिव्यक्ति लेख में जानबूझकर "सहित" डाला गया था। अनुच्छेद 129 ने निचली अदालतों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित रिकॉर्ड अदालत की मौजूदा अंतर्निहित शक्ति को इसकी पूर्ण प्रचुरता में मान्यता दी । यदि अनुच्छेद 129 दो व्याख्याओं के लिए अतिसंवेदनशील है, तो हम उस व्याख्या को स्वीकार करना पसंद करेंगे जो इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को रिकॉर्ड की बेहतर अदालत के रूप में संरक्षित करेगी, ताकि अधीनस्थ न्यायपालिका की सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके, जो न्याय प्रशासन की रीढ़ है। अधीनस्थ अदालतें जमीनी स्तर पर न्याय करती हैं, अदालतों की प्रभावशीलता में लोगों के विश्वास को बनाए रखने और इसके आधार स्तर पर न्याय के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। (मूल में जोर).

(28) **एसोसिएटेड इंडेम मैकेनिकल प्राइवेट लिमिटेड** सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर अधिक भरोसा किया जा सकता है। **लिमिटेड** *बनाम* **पश्चिम बंगाल लघु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (18)** (पैरा 13); **रमणलाल भाईलाल पटेल** *बनाम* **गुजरात राज्य, (19)** (पैरा 23); और **कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन** *बनाम* **अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट। लिमिटेड (20)** (पैरा 15 से 17)।

(22) **केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** *(सुप्रा) के मामले में प्रस्ताव संख्या 5* में संविधान पीठ ने कहा है कि जहां राज्य की विधायिका की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, वहां प्रश्न एक है। पूछना होगा कि क्या कानून सूची I या III में से किसी प्रविष्टि से संबंधित है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है, तो कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह होगा कि सूची I और सूची III में 'खेल' या 'खेल' क्लब' पर करों से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं है जिसके लिए 'मज्जा और पदार्थ' के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता हो। सूची 1 की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के तहत 'खेल या 'स्पोर्ट्स' क्लब' पर कराधान के क्षेत्र को साफ़ करना संभव नहीं होगा, खासकर जब ऐसा क्षेत्र सूची 11 की प्रविष्टि 62 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' द्वारा कवर किया गया हो। इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए तर्क भी स्वीकार्यता के योग्य नहीं हैं।

(23) हमारा यह भी मानना है कि मनोरंजन शुल्क लगाना न केवल खेल पर है, बल्कि 'स्पोर्ट्स क्लब' पर भी है, जो कई अन्य गतिविधियों में उलझा हुआ है, जिसमें पार्टी करना, शराब पीना और भोजन करना शामिल है। इसलिए, **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला *(सुप्रा)* पूरी तरह से लागू होगा और हम उपरोक्त निर्णय से बंधे हैं और दोहराते हैं कि 'मनोरंजन' और 'मनोरंजन' शब्दों में 'खेल' भी शामिल होगा।

(24) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए विपरीत तर्क में **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति के मामले** *(सुप्रा) में फैसले के आदेश के मद्देनजर किसी भी गंभीर चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी।* निर्णय को केवल निर्णय के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक रियायत पर आधारित है और इसे उस तरह नहीं पढ़ा जा रहा है जैसे हम एक क़ानून पढ़ते हैं। वास्तव में, एक पूर्णतया तर्क उठाया गया था, जैसा कि ऊपर दिए गए पैरा 3 के अवलोकन से स्पष्ट है और उसे खारिज कर दिया गया था। इसी तरह, **आरएमडी चमरबागवालिया** के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के पैरा 23 और 24 को अपनाते हुए दूसरा तर्क दिया गया। *(सुप्रा) यह निष्कर्ष निकालना भी स्वीकार्य नहीं होगा कि* **वाईवी श्रीनिवासमुर्थ के मामले** *(सुप्रा)* में दिए गए संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर, राज्य विधानमंडल में खेलों पर कर लगाने की क्षमता का अभाव है। **वाईवी श्रीनिवासमूर्ति के मामले** *(सुप्रा)* में फैसले के पैरा 3 में व्यक्त विचार को इस तर्क को स्वीकार करके खारिज नहीं किया जा सकता है कि फैसले को कानून की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है या यह सहमति पर आधारित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले *के आदेश का भी 'काफी महत्व' है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने* **निपटान निदेशक** *बनाम* **एमआर अप्पाराव , (21) और शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड के मामले** में निर्धारित किया है। *बनाम* **अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड (22)।**

इसलिए, कई अन्य कारकों के साथ वे अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि राज्य विधानमंडल ' खेलों' पर शुल्क लगाने के लिए सक्षम है । फैसले के पैरा 23 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपनाई गई तर्कसंगतता इस बात पर प्रकाश डालती है कि मनोरंजन या मनोरंजन पर विचार करना कुछ उद्देश्यपूर्ण है और कर उस दर्शक पर है जो कुछ मनोरंजन या मनोरंजन को देखता है । इस तरह के निर्माण को, अत्यंत सम्मान के साथ, **केसीएसओआरएएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामले में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विपरीत दृष्टिकोण के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम मानते हैं कि राज्य विधानमंडल मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर मनोरंजन शुल्क/कर लगाने में सक्षम है, जिसमें खेल भी शामिल है और तदनुसार प्रश्न '(ए)' का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध दिया गया है ।

आरसी : प्रश्न '(बी)*—दस्तावेज़ होमर ने सहमति व्यक्त की

(25) पिछले पैराग्राफ में मनोरंजन के क्षेत्र में, जिसमें 'खेल' भी शामिल है, कर लगाने की स्लेट विधायिका की क्षमता को बरकरार रखा गया है। पूर्ण पीठ के समक्ष दूसरा प्रश्न यह रखा गया है कि क्या **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा) के* मामले में इस न्यायालय **की** खंडपीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सही ढंग से अपनाया और लागू किया है। **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज** में 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला *(सुप्रा) /* प्रश्न 'डॉक्स द होमर नोड'। डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण को मुख्य रूप से यह आग्रह करते हुए चुनौती दी गई है कि उसने **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून के सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों की दो डिवीजन बेंच के निर्णयों द्वारा व्यक्त विरोधाभासी विचारों से निपट रहा था। गोपाल **कृष्ण अग्रवाल** *बनाम* **यूपी राज्य** के मामले में , (23) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने धारा में दी गई मनोरंजन की परिभाषा को स्वीकार करते हुए वीडियो पार्लर में दिखाए जाने वाले शो में भाग लेने पर मनोरंजन कर लगाने को बरकरार रखा है। संयुक्त प्रांत मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1937 (संक्षिप्तता के लिए, 'संयुक्त प्रांत अधिनियम') का 2(3) था इतना चौड़ा कि इसमें वीडियो पार्लर भी शामिल हो जहां वीडियो गेम खेले जाते थे। डिवीजन बेंच ने विभिन्न कानूनी और अंग्रेजी भाषा के शब्दकोशों से प्राप्त मनोरंजन के सामान्य अर्थ का भी उल्लेख किया। इसके विपरीत, **हैरिस विल्सन** *(सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि वीडियो* पार्लर में वीडियो गेम खेलने में भागीदारी के आधार पर कोई मनोरंजन कर नहीं लगाया जाएगा । हालाँकि, **मैसर्स गेटा में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय **एंटरप्राइजेज केस** *(सुप्रा) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और* **एचटी गुरसाहनेव** के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया। *बनाम* **राज्य (24)। क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पोर्ट्स क्लबों पर

मनोरंजन कर लगाने को भी बरकरार रखा है, जिस पर पूर्ण पीठ के इस संदर्भ में सवाल उठाया गया है।

(26) **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा)* में निर्धारित तथ्यों और कानून को निकालना आवश्यक होगा। वहां एक पार्टनरशिप फर्म का वीडियो पार्लर था . इसने एक निर्माता को मुख्य रूप से खेल, खेल, समुद्री युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध सहित कई अन्य चीजों के स्क्रीन शो के लिए पार्लर में अपनी वीडियो मशीन स्थापित करने की अनुमति दी थी। एंटरप्राइज़ ने दावा किया था कि शो शैक्षिक थे और प्रतिभागियों को मनोरंजन प्रदान करते थे। एंटरप्राइज व्यक्तियों को वीडियो गेम खेलने में सक्षम बनाने के लिए बिना किसी शुल्क या शुल्क के वीडियो पार्लर में प्रवेश करने की अनुमति देगा। हालाँकि, यदि उन्हें वीडियो गेम खेलना था तो उन्हें भुगतान करना आवश्यक था। प्रतिभागियों द्वारा मशीन के भीतर बने स्ट्रांग बॉक्स में 50 पैसे का सिक्का डालकर भुगतान किया गया। मशीन की चाबियाँ उस निर्माता के पास थीं जिसने मशीन स्थापित की थी। शो के बाद, निर्माता का एक प्रतिनिधि आएगा, बॉक्स खोलेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और कुल बिक्री आय में से एंटरप्राइज़ के हिस्से का भुगतान करेगा। एंटरप्राइज ने दावा किया कि पार्लर में प्रवेश करने के लिए गेट पर किसी से कोई प्रवेश या प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया । वीडियो पार्लर में शो दर्शकों में से एक प्रतिभागी द्वारा संचालित किया जाता था और 30 सेकंड के शो के लिए 50 पैसे का शुल्क केवल उन लोगों से लिया जाता था जो खेलना चाहते थे।

(27) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एंटरप्राइज़ द्वारा दिए गए तर्क को खारिज कर दिया कि जिस तरह से प्रतिभागियों को खेल दिखाया गया और खेल खेलने वाले व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया वह संयुक्त प्रांत अधिनियम की धारा 2(3) के अर्थ में मनोरंजन नहीं था।

---

(24) 1982(2)23Guj. L.R. 526

यह माना गया कि "' *मनोरंजन' शब्द का उपयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है ताकि इसके दायरे में किसी भी प्रकार के मनोरंजन को शामिल किया जा सके, जिसमें विशुद्ध रूप से शिक्षाप्रद भी शामिल हो। उप-धारा3 में ही'मनोरंजन' शब्द का उपयोग "किसी भी प्रदर्शनी , प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या खेल के रूप में किया जाता है जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के लिए प्रवेश दिया जाता है' ने मनोरंजन के दायरे को स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के मनोरंजन, खेल या खेल को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान मामले में इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वीडियो का संचालन करके, वीडियो का संचालक मशीन पर दिखाए जाने वाले गेम, खेल और अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रति30 सेकंड में50 पैसे का भुगतान करता है और जिसे इच्छुक दर्शक देख सकते हैं।"* .

(28) एक अन्य तर्क कि कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया गया, भी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में नहीं आया। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि जब कई लोग मनोरंजन के लिए हॉल में प्रवेश करते हैं और खेल का आनंद लेते हैं तो यह सार्वजनिक शो के लिए सार्वजनिक हॉल बन जाता है, जो तत्व तत्काल मामलों में गायब है। हालाँकि, हम निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त तर्क पर सहमत होने में असमर्थ हैं। थिएटर प्रदर्शन, सिनेमाघरों में शो, क्रिकेट मैचों में प्रवेश के शास्त्रीय उदाहरण आवश्यक रूप से दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करने वाले एकमात्र कार्यक्रम नहीं हैं जो क्रमशः थिएटर या हॉल या खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। ऐसे मामलों में अत्यधिक कुशल कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं और बड़े पैमाने पर जनता का मनोरंजन करते हैं, फिर भी, यह स्वयं के मनोरंजन का एकमात्र तरीका नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति ने अब ऐसे तरीके और साधन उपलब्ध करा दिए हैं जिससे व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग करके अपना मनोरंजन कर सकता है। अत: वर्तमान समय में कोई सामान्य सिद्धांत बताना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी कुशलता तथा खेल खेलकर अपना मनोरंजन अथवा मनोरंजन नहीं कर सकता अथवा उसका मनोरंजन तभी हो सकता है जब उसका मनोरंजन करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति मौजूद हो। ऐसे मामलों में सार्वजनिक प्रदर्शन का तत्व इस अर्थ में अनिवार्य नहीं है कि जनता दर्शक के रूप में आकर देखे। किसी के कार्यालय या घर में खेलों जैसे निजी उपयोग के मुकाबले सार्वजनिक भागीदारी का तत्व पर्याप्त है। अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर कोई गेम खेलने वाले व्यक्ति पर स्पष्ट रूप से मनोरंजन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालाँकि, यदि वह किसी विचार के लिए किसी वीडियो पार्लर या क्लब में वीडियो गेम खेल रहा है , तो यह अपना निजी चरित्र खो देता है और, इसलिए, मनोरंजन को शास्त्रीय उदाहरणों तक सीमित रखने वाले याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क अब स्वीकार्य नहीं होगा और उनके तर्क को बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पैरा 23 और 24 में की गई टिप्पणियों के आधार पर अपनाया जाएगा। **आरएमडी चमरबागवालिया के मामले** *(सुप्रा)* का भी यही हश्र होगा क्योंकि तर्क आवश्यक रूप से उसी आधार से निकलता है। उस संबंध में **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा)* में फैसले के पैरा 12 में निर्धारित कानून के प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैरा 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न पुस्तकों में परिभाषित अभिव्यक्ति 'मनोरंजन' के सामान्य अर्थ और संयुक्त प्रांत अधिनियम की धारा 2(3) में परिभाषित शब्द की सही व्याख्या पर विचार किया और माना कि उस अनुभाग के दायरे में आने के लिए शो को चार परीक्षण पास करने होंगे। चार परीक्षण इस प्रकार हैं : -

(1)) कि शो, प्रदर्शन, खेल या खेल आदि में सार्वजनिक रंग शामिल होना चाहिए, यानी शो किसी हॉल, थिएटर या किसी अन्य स्थान पर जनता के लिए खुला होना चाहिए जहां जनता के सदस्यों को शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है;

(2) यह शो किसी भी प्रकार का मनोरंजन प्रदान कर सकता है चाहे वह खेल हो, खेल हो या कोई प्रदर्शन हो जिसके लिए कुछ मात्रा में कौशल की आवश्यकता होती है; कुछ मामलों में, यह माना गया है कि क्लब हॉल में टोम्बोला का आयोजन भी मनोरंजन के समान है, हालाँकि टोम्बोला बजाने में, कुछ हद तक, थोड़ा कौशल शामिल होता

है;

(3) भले ही हॉल में प्रवेश निःशुल्क हो, लेकिन यदि प्रदर्शक को धन के रूप में कुछ लाभ मिलता है तो इसे मनोरंजन माना जाएगा;

(36) धारा 2(3) अधिनियम का. तो यह भी तथ्य है कि शो से प्राप्त आय को शो चलाने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा किया जाता है।"

गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले से अनुमोदन के साथ निम्नलिखित पैरा उद्धृत किया , जो इस प्रकार है:

"जिस संदर्भ में अधिनियम के परिभाषा खंडों में 'शामिल' शब्द का उपयोग किया गया है, वह यह नहीं दर्शाता है कि विधानमंडल का इरादा 'मनोरंजन' या 'मनोरंजन में प्रवेश' या 'भुगतान' जैसे शब्दों पर प्रतिबंध या सीमा लगाने का है। प्रवेश के लिए । ' सभ्यता की प्रगति और वैज्ञानिक विकास के साथ मनोरंजन के नए रूप अस्तित्व में आए हैं। वीडियो गेम संभवतः मनोरंजन के साधनों में नवीनतम जोड़ हैं। इन खेलों में अन्य खेलों की तरह ही कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती है। वे उन लोगों के लिए मनोरंजन और आनंद का स्रोत हैं जो खेलों में भाग लेते हैं। अन्य लोग जो खड़े होकर देखते हैं, उन्हें भी कुछ आनंद और मनोरंजन मिलता है, हालांकि उसी स्तर पर नहीं। जिस परिसर में वीडियो मशीनें स्थापित हैं, वहां प्रवेश निःशुल्क हो सकता है लेकिन यदि कोई गेम खेलना चाहता है तो भुगतान करना स्वीकार्य है। वीडियो मशीन के उपयोग के लिए लिया गया पैसा मनोरंजन के लिए प्रवेश है और मशीन का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान प्रवेश के लिए भुगतान है। किसी भी स्थिति में यह मनोरंजन से जुड़ा एक भुगतान है जिसे किसी व्यक्ति को मनोरंजन में शामिल होने की शर्त के रूप में करना होता है।"

(37) उपरोक्त टिप्पणियाँ करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हैरिस विल्सन के मामले** *(सुप्रा) में* मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज कर दिया। इसने उस पैरा को अस्वीकार करते हुए उद्धृत किया है जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया गया है, अर्थात्, वीडियो गेम पार्लर में किसी व्यक्ति का मनोरंजन उसका अपना प्रदर्शन है और यह है करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोरंजन या कोई खेल नहीं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस दलील में कोई योग्यता नहीं मिली कि किराए के उपकरणों की मदद से अपने प्रदर्शन से खुशी प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान को मनोरंजन में प्रवेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अस्वीकृति के साथ उद्धृत पैरा एक दिलचस्प पाठन बनाता है जो इस प्रकार है :

"इसलिए, वीडियो गेम पार्लर में जो चीज किसी व्यक्ति का मनोरंजन करती है , वह उसका अपना प्रदर्शन है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या कोई खेल। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उपकरण की मदद से अपने प्रदर्शन से आनंद प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए किया गया भुगतान उस व्यक्ति को मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान नहीं माना जा सकता है जैसा कि अधिनियम में विचार किया गया है। हमारी राय में, इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान प्राप्त होता है, जब वे स्लॉट में व्यक्तियों द्वारा डाली गई राशि एकत्र करते हैं।

(38) **एचटी गुरसहनी** के मामले में दिए गए गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को भी खारिज कर दिया। *(सुप्रा) / यह भी ध्यान रखना उचित है कि* **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज मामले** *(सुप्रा)* में फैसले का पालन किया गया है और **स्टैंडर्ड गेम्स** *बनाम*

यूपी राज्य (25) के मामले में लागू किया गया है । **मध्य प्रदेश राज्य** *बनाम* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष इस मुद्दे को फिर से खोलने की एक और कोशिश की गई **आभा सेठी, (26),** लेकिन संविधान पीठ ने **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज के मामले** *(सुप्रा) में अपनाए गए दृष्टिकोण को दोहराया* और उसे मंजूरी दे दी। [24]

(39) उपरोक्त चर्चा से, निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

a. वीडियो गेम मनोरंजन कर के अधीन हैं। भले ही कोई व्यक्ति वीडियो पार्लर में अपने प्रदर्शन से मनोरंजन करता हो, लेकिन कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि वीडियो पार्लर का मालिक थिएटर, मनोरंजन, खेल या किसी खेल में प्रदर्शन जैसे किसी मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करे । दूसरे शब्दों में, यह अब *अनिवार्य नहीं है कि मनोरंजन* कर को आकर्षित करने के लिए निर्धारिती के कहने पर आयोजित किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शन अनिवार्य है;

b. भुगतान का तरीका पूरी तरह से महत्वहीन है चाहे वह कब किया गया हो प्रवेश या गेम खेलने के समय। इसलिए, शुरुआत में भुगतान की गई एकमुश्त राशि या साल दर साल दी जाने वाली वार्षिक सदस्यता से शायद ही कोई फर्क पड़ेगा; और

c. जब लोग आते हैं तो एक प्रदर्शन सार्वजनिक हो जाता है ऐसे स्थान पर अपने कौशल का प्रदर्शन करके खेल खेलना जहां जनता को भुगतान करने और सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(40) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि जब तक सभी चार परीक्षण संचयी रूप से संतुष्ट नहीं होते, तब तक **मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज के मामले** *(सुप्रा) में निर्धारित अनुपात लागू* नहीं होगा। विद्वान वकील के अनुसार **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामले में निर्णय गलत तरीके से दिया गया है क्योंकि इसने **मेसर्स** गीता **एंटरप्राइजेज के मामले** *(सुप्रा)* में निर्धारित परीक्षणों में से केवल एक को लागू किया है। **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में फैसले के पैरा 13 पर भरोसा करते हुए , विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि डिवीजन बेंच ने खुद स्वीकार किया है कि जब खिलाड़ी या कलाकार अपने खेल का आनंद लेते हैं जो वे खेलते हैं या नाटकीय प्रदर्शन करते हैं जिसका वे मंचन करते हैं, वह उनका मनोरंजन कर सकता है या उनका मनोरंजन कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी कलाकार या खिलाड़ी को कोई मनोरंजन शुल्क देय नहीं होगा। हमारे विचार में विद्वान खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सही निर्णय लिया है, अर्थात् मनोरंजन कर 'खेल' पर लगाया जा सकता है क्योंकि यह 'अभिव्यक्ति मनोरंजन' में शामिल है। यह पूरी तरह से गलत तर्क है कि **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामले में सभी चार परीक्षण संतुष्ट नहीं थे। यह अलग बात है कि विद्वान न्यायाधीशों ने **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा) के मामले में प्रत्येक परीक्षण पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा नहीं की।* उदाहरण के लिए, पहला परीक्षण यह प्रदान करता है कि शो किसी हॉल, थिएटर या किसी अन्य स्थान पर जनता के लिए खुला होना चाहिए जहां जनता के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है या आम जनता शो में भाग लेती है। यह परीक्षण तब संतुष्ट होता है जब आम जनता के सदस्यों को क्लब के सदस्य के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कर लगाने के कानून में किसी भी पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, **[केसोराम इंडस्ट्रीज केस** *(सुप्रा) देखें]* सातवीं अनुसूची में सूचियां केवल कानून के 'क्षेत्र' प्रदान करती हैं जो अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करने में सक्षम हैं। . इसलिए, खेल की सार्वजनिक प्रकृति तब संतुष्ट होती है जब इसमें सेवाएं दी जाती हैं आम जनता को सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करके क्लब प्रदान किया जाता है। दूसरा परीक्षण भी संतोषजनक है क्योंकि एक खेल खेलकर खिलाड़ी अपना मनोरंजन करते हैं, हालांकि अपने कौशल को नियोजित करके 1. क्लब हॉल में 'टॉम्बोला' का उदाहरण सार्वजनिक मनोरंजन के रूप में आयोजित किया गया है, हालांकि टोम्बोला खेलने में कुछ कौशल भी

शामिल होते हैं। तीसरे टेस्ट से भी संतुष्ट हैं क्योंकि प्रवेश विचार के लिए है और मुफ़्त नहीं है और चौथे टेस्ट से भी संतुष्ट हैं क्योंकि खिलाड़ी सीमित समय के लिए खेल खेलने और अपना मनोरंजन करने के लिए निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। इसलिए, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि **क्रिसलिस इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड** *(सुप्रा)* के मामले में फैसला सही ढंग से लिया गया है।

(41) **पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड** *बनाम* **राम वर्मा भारतन** के मामले में **थंपुरन , (27),** न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने देखा है कि होरेस ने लिखा है *"लेकिन अगर होमर, जो अच्छा है, एक पल के लिए सिर हिलाता है, [इसे शर्म की बात समझें"* / विद्वान न्यायाधीश ने तब देखा कि *"हम, सुप्रीम कोर्ट, सही होने के लिए बहुत सावधानी बरतने के बावजूद "सिर हिलाता है", और एक बार जब हमारे फैसले में एक स्पष्ट त्रुटि सामने आती है, तो शर्म या अचूकता की कोई भावना हमें परेशान नहीं करती है या इस अदालत को अंततः सही होने की चिंता से हतोत्साहित करती है, लगातार गलत नहीं।"* हमें यह जानकर खुशी हुई कि हम होमर की मंजूरी से बच गए। तदनुसार, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में दिया गया है।

(42) कानून के दोनों मूल प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मामले को अब एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन के संबंध में अन्य प्रस्तुतियों पर विचार कर सकता है क्योंकि हमने चर्चा को कानून के उपरोक्त मूल प्रश्नों तक ही सीमित रखा है। तदनुसार, कार्यालय इन मामलों को डिवीजन बेंच के समक्ष रखेगा।

(43) इस फैसले की एक फोटोकॉपी संबंधित मामलों की फाइलों पर लगाई जाए।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा